

S. V. I. M.

पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

INWARD No.

दूरभाष : 2527532

Date.

तार : युनिवर्सिटी

Signature.

फेक्स : 0731-529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001

दिनांक :

23 DEC 2022

क्र. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2022 / 3330
प्रति,

प्राचार्य / संचालक,

श्री वैष्णव इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,
स्कीम नं. 71, गुमास्ता नगर, इन्दौर

विषय:- महाविद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये प्रदान करने विषयक।

सन्दर्भ: आपका पत्र क्र. SVIM/2022/3380 दिनांक 14/03/2022 एवं पत्र दिनांक 27/07/2022 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन के संदर्भ में विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 20/04/2022 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29/04/2022 में लिये गये निर्णयानुसार महाविद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2022-23 में निम्नानुसार पाठ्यक्रमों की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता जारी है:-

क्र.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	बी.बी.ए.	480
2	बी.सी.ए.	180
3	बी.एससी. (कम्प्युटर साइंस अति. विषय के साथ)	60
4	बी.एससी. (आई.टी. अति. विषय के साथ)	60
5	एम.बी.ए. (फायनेंसियल एडमिनिस्ट्रेशन)	60
6	एम.बी.ए. (फूलटाईम)	180
7	पीएच.डी. शोध केन्द्र (मैनेजमेंट)	—

शर्त:-

1. ए.आई.सी.टी.ई. नई दिल्ली के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
2. राज्य शासन के निर्देशानुसार एवं प्रवेश नियमावली के अनुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही का पूर्ण पालन किया जावे।
3. परीक्षा कार्य में असहयोग करने वाले महाविद्यालयों को आगामी सत्र में निरन्तरता/नवीनीकरण करने पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. महाविद्यालय के आकस्मिक निरीक्षण में यदि पाया जाता है कि यू.जी.सी. मापदण्ड अनुरूप छात्र संख्या अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अन्तर्गत नहीं की गई है तो सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्था का होगा।
5. विश्वविद्यालय परिनियम क्रं.27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
6. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन aishe.gov.in के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
7. महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वपोषित इकाई अनिवार्यतः रूप से प्रारंभ की जावे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सुचारु रूप से संचालन हेतु रुपये 10/-प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी के मान से शुल्क लिया जा सकता है।

आदेशानुसार,

(Signature)

कुलसचिव

पृ.क्र.शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2022 / 3330

दिनांक :

प्रतिलिपि:-